No. M-2348 /UJVNL/05/Director HR/DGM(HR)/M-1 Dated: 01/08/2025

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
UJVNL
मानव संसाधन विभाग, ''उज्ज्वल'', महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून – 248006 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Ujjwal", Maharani Bagh, G.M.S. Road, Dehradun - 248006 (Uttarakhand)
दूरभाष/Phone-0135-2523213/2523214/2523215/2523216, Email : hr@ujvnl.com, Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 27001:2013, 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 Certified

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापन संख्या 317/यूजेवीएन लि/05/औ०सं०/एम–4 दिनांक 13.02.2015 के अनुक्रम में **श्री महन्त इन्द्रेश अस्पताल, पटेल नगर, देहरादून** को यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के वे सेवानिवृत्त कार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालय में नियमानुसार भर्ती एवं बाहय रोगी की हैसियत से कराये जाने वाले उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु **स्थाई रूप से** प्रदान की गई मान्यता के दृष्टिगत चिकित्सालय के देहरादून स्थित 02 उपकेन्द्रों, **खुड़बुड़ा मुहल्ला एवं मौथरोवाला** को सामान्य चिकित्सा हेतु स्थाई रूप से CGHS दरों पर मान्यता प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. उक्त चिकित्सालय में उपचारार्थ भर्ती के दौरान हुए वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं0 2088–एनजी/।।/एसईबी(चतुर्थ)–29–एनजी–11/78 दिनांक 24.05.1978 एवं समय समय पर जारी एतदविषयक प्रभावी आदेशों में निहित प्राविधानों/प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

1. उक्त उपकेन्द्र संलग्न दर सूची **सी०जी०एच०एस०, देहरादून 2014 (Central Government Health Scheme, Dehradun 2014) (NABH) (Updated on 04th May 2021)** में दर्शाई गईं नवीनतम दरों पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा। यदि CGHS Rate पुनरीक्षित होते हैं तो स्वतः Updated Rates ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।

2. उक्त उपकेन्द्रों के लम्बित बीजकों की प्रतिपूर्ति CGHS/वास्तविक दर (जो भी कम हो) के अनुरूप की जायेंगी।

3. चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में दवाओं, चिकित्सकीय परीक्षणों, शल्य चिकित्सा, वार्ड/कमरे (अनुमन्यतानुसार) की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। बाह्य रोग विभाग (ओ०पी०डी०) के लिये यूजेवीएन लि० के आदेश संख्या 7059 /उजविनियलि /एचआर /एम–4 दिनांक 01.10.2007 सपठित आदेश संख्या 8939/उजविनिलि/एचआर/एम–4 दिनांक 03.10.2008 के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

4. उक्त चिकित्सालय अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगायेगा जो यह दर्शायेगाः–

   ''यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उन पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों के लिये अधिकृत चिकित्सालय''

7. प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये चिकित्सा बीजकों के भुगतान की प्रक्रिया यथावत रहेगी।

8. चिकित्सालय के निम्नलिखित बिंदुओ के अनुपालन न करने पर उपरोक्त मान्यता कभी भी समाप्त की जा सकती है:–

   a मान्यता अवधि में चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा चिकित्सा दरों में कोई वृद्धि किये जाने पर।

क्रमशः......2

b किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने की शिकायत आने या शिकायत का समाधान न होने पर।

c दर सूची में जो मद देय नहीं हैं, को अस्पताल के बिल में सम्मिलित किये जाने पर।

d अस्पताल को पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम में, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

e अस्पताल के विरूद्ध यूजेवीएन लि० के मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायते आने पर अथवा उनका समाधान न होने पर।

निदेशक (मा0सं0)

No. M-2848 /UJVNL/05/Director HR/DGM(HR)/M-1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. निदेशक (परिचालन) / (परियोजनाएं) / (वित्त) / (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (जानपद) / (वि० / यॉ०) / (ओ०एण्डएम०) / (वित्त) / (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड **को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।**
6. उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
7. उपमहाप्रबन्धक (आई०टी०), यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को **निगम की वैबसाइट पर "चिकित्सालयों की मान्यता शीर्षक के अन्तर्गत" अपलोड करने हेतु।**
8. कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
9. उप मुख्य लेखाधिकारी, सी०एस०पी०ओ०, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
10. वरिष्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
11. चिकित्सा अधीक्षक, श्री महन्त इन्द्रेश अस्पताल, पटेल नगर, देहरादून।
12. अध्यक्ष / महामंत्री समस्त यूनियन / एसोसिएशन।

1/8/20

(राजेश चन्द्र)
उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)